



नवीर पु- २०१७ / ६२५३

न्यायालय श्रीमान राजरुव मण्डल अध्यक्ष महोदय म०५० खालियर म०५००

५०५०---/२०१७

५ निगरानी विद्वाना/भारत २०१७/६२५३

- १- राहुल आयु २४ वर्ष पुत्र प्रेमनारायण जाति प्रजापति निवासी वार्ड नं. १८ पंडापूरा बासोदा
- २- प्रेमनारायण पुत्र चास्सीलाल जाति प्रजापति निवासी वार्ड नं. १८ पंडापूरा बासोदा

जिला विद्वाना म०५०० - - - - आवैदकगण

बनाम

ग्रहनिर्माण वस्तु उत्पादन सहायक समिति

द्वारा- अध्यक्ष सुन्दरलाल पुत्र धन्नालाल जाति प्रजापति निवासी वार्ड नं. २४ गंज बासोदा

२- सचिव गण्पुलाल नायक पुत्र रविशंकर नायक निवासी पुरानी नगर पालिका के पास बासोदा

३- जीवनलाल पुत्र मानकलाल प्रजापति निवासी सिरौज चौराहा वार्ड नं. २१ बासोदा

४- प्रकाश पुत्र आशापुत्र नामदेव निवासी वार्ड नं. २२ सख्तसदर बाजार गंज बासोदा

जिला विद्वाना म०५०० - - - - अनावैदकगण

आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा ५० निगरानी म०५००० राखितता १९५९ के अनुसार

५०५ न्यायालय श्रीमान तहसीलदार महोदय तहसील बासोदा के सीमांकन प्र०५० ०५७/१-१२१/२०१७-१८ व मामले ग्रह निर्माण वस्तु उत्पादन सहायक समिति अध्यक्ष सुन्दरलाल सीमांकन दिनांक ८-१२-२०१७ के विरुद्ध निगरानी पेश है।

श्रीमान महोदय,

निगरानी इस प्रकार है कि:-

१:- यह कि आवैदकगण ग्राम कम्बा खण बासोदा की आराजी सर्वे नं

(Handwritten signature)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - एक/निगरानी/विदिशा/भू.रा./2017/6243

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
05/12/18	<p>प्रकरण का अवलोकन किया। यह निगरानी तहसीलदार बासौदा जिला विदिशा के प्रकरण क्रमांक 57/अ-121/2017-18 में पारित आदेश दिनांक 08.12.2017 के विरुद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जाएगा) की धारा-50 के तहत पेश की गई है।</p> <p>2/ म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 26.02.18 को कलेक्टर जिला विदिशा के समक्ष उपस्थित हों।</p>	<p>प्रशासकीय सदस्य</p>